न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मीणा आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–33/2015

1–राकेश पुत्रश्री तेजसिंह जाति जाटव निवासी मौहल्ला भीमनगर सैपऊ तहसील सैपऊ
————वादी

बनाम

1–रमेश 2–शिवराम पुत्रगण तेजसिंह जाति जाटव निवासी मौहल्ला भीमनगर सैपऊ तहसील सैपऊ
3–नवीन पुत्र स्व0 जीतेन्द्र नावालिग सरपरस्ती मामा स्वंयं विजेन्द्र पुत्रश्री नत्थी जाति जाटव निवासी मौरोली का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

................प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री राकेश– वादी
2–रमेश वगैरा– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 14.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 2368, 3671/2370, 3797/2434 स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर आज ही दिनांक 30.6.2016 को दावा वादी प्रारम्भिक डिकी किया जाकर बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

नायव तहसीलदार सेपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा नायव तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिकी किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाना प्रतीत होता हैं । ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किया जाना उचित समझते है ।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत ....

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1— राकेश पुत्रश्री तेजसिह जाति जाटव निवासी मौहल्ला भीमनगर सैपऊ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	3671/2370	0.05
	3797/2434	0.16
कुल	02	1.01

2— रमेश पुत्रश्री तेजसिह जाति जाटव निवासी मौहल्ला भीमनगर सैपऊ व नवीन पुत्र स्व0 जीतेन्द्र नावालिग सरपरस्ती मामा विजेन्द्र पुत्रश्री नत्थी जाति जाटव निवासी मौरोली का पुरा तहसील धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1	2368/1	0.19	उत्तर दिशा
कुल	01	0.19	

3—शिवराम पुत्रश्री तेजसिह जाति जाटव निवासी मौहल्ला भीमनगर सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1-	2368/2	0-05	दक्षिण दिशा
कुल	01	0.05	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्डाधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र सैपऊ